UPBG010041302020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 /
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) बागपत।

उपस्थित : श्री कृष्ण कुमार सिंह, एच0जे0एस0।

जे0ओ0 कोड सं0–यू0पी0–06386

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–167 / 2020(कम्प्यूटर नं0–875 / 2020)

सरकार बनाम चमनगिर
मु0अ0सं0–372 / 2018
धारा–138–1बी विद्युत अधिनियम
थाना–सिंघावली अहीर, जिला बागपत

दिनांक 01.04.2023,

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्युत विभाग की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री सुभाष सिंह उपस्थित।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एव पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपराध का शमन किये जाने सम्बन्धी कम्पाउन्डिंग लेटर पत्रावली पर संलग्न है, जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया जा चुका है। उभयपक्ष द्वारा अपराध का शमन विभाग से कर लिये जाने के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–152 की उपधारा–3 के अनुसार उपधारा–1 के अनुसार किसी अपराध का शमन कराने के लिये समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना द0प्र0सं0 की धारा–300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति मानी जायेगी।

चूंकि सम्बन्धित विभाग द्वारा अपराध के शमन के लिये कम्पाउन्डिंग लेटर में उल्लिखित धनराशि स्वीकार कर ली गयी है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त चमनगिर को विद्युत अधिनियम की धारा–152 की उपधारा–3 के अनुसार अपराध का शमन हो जाने के आधार पर उपरोक्त वर्णित मामले में दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 /
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम),बागपत।